

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 405]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 12, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/12/14.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/12/13 दिनांक 31.07.2019 जारी की गई थी।

(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा, विभाग की उक्त अधिसूचना की कंडिका 08 को अपास्त किया गया, किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई।

(3) तदपश्चात् छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16—ग की उप—धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु “प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” की कंडिका 08—प्रबंध को छोड़कर, कंडिका—5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करने अधिसूचना क्र./एफ 15—35/15—02/2019/1 दिनांक 07.03.2020 जारी की गई।

(4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 05—(च) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत “प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची—एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(5) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05—(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची — एक, दो एवं तीन को जारी करता है। हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति विभाग के ई—मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(6) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची—एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :— अनुसूची — एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप—सचिव.

जिला बस्तर छत्तीसगढ़ की प्रथमिक कृषि शाखा सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना 2019

अनुसूची-एक

क्र	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
1	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. घोटिया	1. मधोता - 01 2. मधोता - 02 3. झारतराई	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. लामकेर
2	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. लोहण्डीगुड़ा	1. करकागुड़ा 2. मटनार 3. मेंदरी	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. मारडूम
3	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. अलनार	1. कूथर	
4	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. करंजी	1. टाण्डपाल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. सिरिसगुड़ा
5	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. कोलचूर	1. मरलेंगा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. बस्तर
6	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. डिलमिली	1. केलाउर 2. कटेनार 3. पखनार	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. दरभा

अनुसूची-दो

क्र	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है(प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्य क्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. सरगीपाल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. राजनगर	1. राजनगर 2. खमेश्वरी 3. भेजरीपदर 4. बनारस
2	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. कचनार	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. छोटेदेवड़ा	1. छोटेदेवड़ा 2. नेगानार 3. पंडानार 4. ढोढरेपाल 5. मोहलई (नवीन)
	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. मूली		1. रामपाल

3	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. करपावंड	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. मंगनार	1. मंगनार 2. जोन्दरीगुड़ा 3. खोटकापाल 4. कोदागुड़ा 5. बेलपुटी 01 6. बेलपुटी 02 7. सोरागुड़ा 8. करहाभांटा
4	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. जैतगिरी	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. सोनपुर	1. सोनपुर 2. बनियागांव 3. मटनार 4. बेड़ागांव 5. सौतपुर 6. नरावण्ड
5	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. जैबेल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. गारेंगा	1. गारेंगा 2. बड़ेजिराखाल 3. मरेठा 4. छोटेजिरावाल 5. वनकोमार 6. मोहलई 7. लावागांव 8. चारगांव 9. तारेका
6	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. सोनारपाल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. चपका	1. चपका 2. फाफनी
	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. केशरपाल		1. कुम्हली
7	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. नेगानार	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. चिंगपाल	1. चिंगपाल 2. केशापुर 3. छिन्दबहार 4. कोयनार 5. ककनार 6. माहकापाल 7. गाड़मगुड़ा 8. मावलीपदर 9. टोपर 10. सेड़वा
8	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. बड़ेमुरमा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. जामावाड़ा	1. जामावाड़ा 2. उलनार 3. चिलकुटी 4. काकरवाड़ा 5. टोंडापाल 6. बिरनपाल 7. छोटेबदाम 8. बड़ेबदाम 9. नवागुड़ा

9	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. नानगुर	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. पुसपाल	1. पुसपाल 13. करकागुड़ा 2. जोजल 14. गाड़घाट 3. धनियालूर 15. चोररास 4. कैकागढ 16. कांगेर 5. कुलगांव 6. तिरिया 7. कालागुड़ा 8. कावापाल 9. आलकुरटाइपदर 10. गुमलवाड़ा 11. तोलावाड़ा 12. पुलचा
10	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. मारडूम	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. बिन्ता	1. बिन्ता 2. करेकोट 3. भेजा 4. कोरली 5. सतसपुर 6. रायगोंदी 7. ककनार 8. महिमा 9. पुसपाल 10. पालम 11. चन्देला 12. धर्माबेड़ा 13. अमलीधर 14. कोडेनार

अनुसूची-तीन

क्र	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है(प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों के नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है(परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है।
1	2	3	4	5
1	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. बकावण्ड	दाबगुड़ा 1. नलपावण्ड 2. कोटा 3. पिठापुर 4. उड़ियापाल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. सरगीपाल —	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. नलपावण्ड

2	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. सिरिसगुड़ा	नैनमुर, सालेपाल, बारुपाटा, कलेपाल, कामदेवकुरुसपाल, नैननार,	—	
3	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. तोकापाल	1. रायकोट 2. एरण्डवाल 3. दुगनपाल 4. मटकोर 5. गाटम 6. गुराम 7. उड़वा 8. बुरुंगपाल 9. मावलीभाटा 10. मंडवा	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. रायकोट
		1. बडेमारेंगा 2. तेलीमारेंगा 3. गुडरामारेंगा 4. डिमरापाल 5. केशलूर 6. कानाकुरुसपाल 7. सोसनपाल 8. कलेपाल 9. डोंगरीगुड़ा 10. बुरुंगपाल 11. बडेमोरठपाल 12. छोटेमोरठपाल 13. कुरेंगा 14. नवागांव 15. पलवा 16. बाघनपाल	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. बडेमारेंगा
4	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. जगदलपुर	भड़िसगांव	—	
		1. पल्ली 2. कुम्हरावण्ड 3. घाटपदमुर 4. नेगीगुड़ा 5. तितिरगांव 6. बालीकोंटा 7. कोण्डावल 8. कालीपुर 9. धरमपुरा 10. अघनपुर 11. कंगोली 12. बिरिंगपाल	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. पल्ली

	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. जगदलपुर	1. कुरंदी 01 2. कुरंदी 02 3. चिलकुटी 4. डोंगरीगुड़ा 5. सुलियागुड़ा		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. बाबुसेमरा
5	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. माड़पाल	1. बाबूसेमरा 2. आड़ावाल 3. खम्हारगांव 4. धुरगुड़ा 5. तेलीसेमरा 6. नकटीसेमरा 7. बुरन्दवाड़ासेमरा 8. अटपहरीसेमरा	—	
		1. कस्तुरी 2. रामपाल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. नगरनार	